STATEST TO EXTRAOR DONARY

भाग II—एण्ड 3—उप-सण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) शाधिकार से प्रकाशिक PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262] नई दिल्ली, सोमबार, अप्रैल 29, 1991 वैशाख 9, 1913 No. 262] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 29, 1991/VAISAKHA 9, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ लंख्या की जाती है जिससे कि यह बल्ग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

ग्रधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1991

का. म्रा. 301 (म्र):—मोटर वाहन म्रिशिनयम, 1988 (1988 ा 59) की धारा 213 की .उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एत््यरा भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की म्रिशिसूचना संख्या 443 (म्र) दिन्ति 12-6-1989 में निम्नलिखित संशोधन करती है, म्र्यात्:—

- THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
- 1. उक्त अधिसुचना में मद (2) के लिए "ग्रह्नंता" शीर्षक के ग्रंतर्गत निम्नलिखित मद प्र. स्थापित की जाएगी, ग्रयात:---
  - "(2) (1) ब्राटोमोबाइल इंजीनियरी में डिप्लोमा (3 वर्षीय पाठ्यक्रम) या
  - (2) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त मेकेनिकल इंजीनियरी में डिप्लोमा (3 वर्षीय पाट्य-कम ) या
  - (3) उपर्युक्त विषयों में से किसी में कोई ऐसी अर्हता जिसे केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा समतुल्य भोषित किया गया हो।"
  - 2. उक्त श्रविसूचना में खण्ड 2 के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, प्रयात :-
  - (2) इस अधिसूचना में निहित कोई वात ऐसे व्यक्तियों पर, जिसके नाम 1 जुलाई, 1989 से पहले राज्य सरकारों द्वारा मोटर वाहन निरीक्षक या सहायक मोटर वाहन निरीक्षक (जिन नामों से भी पुकारा जाता हो ) के पद पर नियुक्ति के लिए विचाराधीन थे। अथवा 1 जलाई, 1989 से पहले ऐसे पद पर नियुक्त किसी अधिकारी पर अथवा गैर-तकनीकी स्वरूप के कार्यों के निष्पादन के लिए नियुक्त अधिकारी पर लागू नहीं होती।

[फा. सं. ग्रारटी-11036/1/91—एम. बी. एल.]

जी. के. पिल्लै, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

## NOTIFICATION

## New Delhi, the 29th April, 1991

- S.O. 301 (E). -In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 213 of the Moter Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment to the notification of the Gov. ment of India, in the Ministry of Surface Transport (Transport Wing No. 443 (E) dated 12-6-1989, namely :-
- 1. In the said notification under the heading "Qualification" for item (2) the following item shall be substituted, namely :-
  - "(2) (i) A diploma in Automobile Engineering (3 years course) or
  - (ii) A diploma in Mechanical Engineering awarded by the State Board of Technical Education (3 years course) or
  - (iii) Any qualification in either of the above disciplines declared equivalent, by the Central Government on State Government".

. In the said notification for clause 2, the following clause shall be substituted, namely :-

िषाग II--खंड 3(ii)

2. Nothing contained in this notification shall apply to persons whose names were under consideration for appointment to the post of Inspector of Motor Vehicles or Assistant Inspector of Motor Vehicles (by whatever names called), by the State Governments prior to first day of July, 1989 or to an officer appointed to such post before the first day of July, 1989 on to an officer appointed to discharge functions of a non-technical nature.

भारत का राजपतः ग्रसाघारण

[F. No. RT-11036|1|9-M.V.L.] G. K. PILLAI, Jt. Secy.